संख्या–२२ VI-1/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति विभाग,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग : देहरादून : दिनांक २६ फरवरी, 2005

विषयः–जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान कोटद्वार में प्रेक्षागृह (आडिटोरियम) के निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–1130/2003–04/दिनांक, 29 जनवरी, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पौड़ी गढ़वाल के स्थान कोटद्वार में प्रेक्षागृह (आडिटोरियम) के निर्माण हेतु रू0 171.60 लाख के आंगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि 138.50 लाख के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति साहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 50.00 लाख (रूपये पच्चास लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान करते हैं।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

7–(ए) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने चाहिए। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3– किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समयपर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन)विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–04–कला और संस्कृति–800–अन्य व्यय–03–सांस्कृतिक परिषद्/कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के नामें डाला जायेगा।

N 11
12586

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1289/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 22–02–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
5– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त।
6– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
8– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी गढवाल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।